तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

29-11-22

पत्रावली पेश हुई वादी की तरफ से श्री [illegible] शर्मा एड० ने वकालतनामा पेश किया प्रतिवादीगण 1/3, 1/4, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4 प्रतिवादी क्र० 3 व 4/1, 4/3 प्रतिवादी क्र० 5 की तरफ से श्री [illegible] एड० ने वकालतनामा पेश किया। व प्रतिवादी क्र० 1/2 व 4/2 की OT की गई। वास्ते साक्षिक कार्यवाही पत्रावली 13-12-22 को पेश होवे।

[initials]

13-12-22

पत्रावली पेश हुई वादी व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता उपस्थित एवं वाद पत्र में अंकित पक्षकार उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारो के मध्य राजीनामा हो गया है मुताबिक राजीनामा के विवादित आराजी ख० सं० 503 रकबा 2.52 हेक्टेयर कृषि भूमि ग्राम रमजपुर तहसील [illegible] में से 4 बीघा कृषि भूमि (0.64 हेक्टेयर) पर प्रतिवादीगण 2 लगायत 5 सब (का० पुत्रगण) के काबिज है। और शेष भूमि 1.88 हेक्टेयर भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा अधिकार शेष नहीं है।

प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 5 के कब्जे की भूमि 4 बीघा [illegible] की तरफ मेंड़ से लगी 4 बीघा जिसमें राजेन्द्र, दिनेश, सुरेश, [illegible] को बराबर काबिज रहेंगे।

(ii) विवादित भूमि की जमा राशी में से 60 प्रतिशत वादी [illegible] व शेष 40 प्रतिशत राशी प्रतिवादी मोहनलाल के समस्त [illegible] तीन पुत्रीयों व प्रतिवादी 2 लगायत 5 को 1/7 . 1/7 प्राप्त होगी।

(iii) वादी और प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है और आपसी समझ से राजीनामा कर लिया है और राजीनामा से वाद का निराकरण करवाना चाहते है भविष्य में राजीनामा बाबत कोई एतराज या आपत्ति

[Right column initials/signatures: गीता बाई, कमला, उर्मिला, ग्यारसी, रेवा साहू, सोना साहू, [illegible]]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

करने का कोई अधिकार नहीं होगा / प्रस्तुत राजीनामा मूल पत्रावली का आभिन्न अंग रहेगा।

साथ ही वादी भागीलाल साहू द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो चुका है उक्त भूमि न्यायालय के मध्य राजीनामा हो चुका है राजीनामा की पूर्ण पालना आदेशानुसार रिसीवरी में है. राजीनामा की पूर्ण पालना हेतु विवादित भूमि में से 0.64 हैक्टेयर भूमि की रजिस्ट्री / दानपत्र प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 5 के पक्ष में किया जाना है विवादित भूमि में 4 बीघा भूमि पर जिसपर प्रतिवादीगण काबिज है के अनुसार उनके नाम हस्तान्तरण करने हेतु न्यायालय की स्वीकृति चाही गई।

वादी व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के अवलोकन से वादी व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो चुका है राजीनामा की ब्वज में लिखित आभिलेख के अनुसार वादी को प्रतिवादीगण के पक्ष में 4 बीघा कृषि भूमि की रजिस्ट्री / दानपत्र कराने हेतु रिसीवरी विवादित भूमि में से रजिस्ट्री / दानपत्र की अनुमति चाही गई। प्रस्तुत राजीनामा अनुसार विवादित आराजी में से रजिस्ट्री / दानपत्र कराये जाने हेतु राजीनामा अनुसार स्वीकृति दी जाती है.

विवादित आराजी की राजकोष में जमा ~~राशी~~ ~~[illegible]~~ रिसीवर राशी को वादी व प्रतिवादीगण राजस्व रिकोर्ड में दर्ज अपने-अपने हिस्से अनुसार प्राप्त करने के लिए स्वतन्त्र होगे।

वादी व प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय सभा में उपस्थित होकर आदेशिका पर हस्ताक्षर किये प्रस्तुत राजीनामा व वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र वाद का आभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामानुसार निस्तारण की जाती है. पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो.

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी